

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551] No. 551] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2003/कार्तिक 20, 1925

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2003/KARTIKA 20, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 21 अक्तूबर, 2003

सं. फेमा 104/2003-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन संविदा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 880(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
 - (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

विनियमावली में संशोधन

- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में
 - (i) अनुसूची I में ''क. वायदा संविदा'' में पैराग्राफ (झ) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, नामत: :— ''(अ) भारत में निवासी कोई व्यक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियम और ऋतें के अधीन, विदेशी मुद्रा में नामित परंतु भारतीय रुपये में निपटाए गए लेन-देन के संबंध में विनिमय जोखिम की रक्षा के लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ वायदा संविदा कर सकता है।''
 - (ii) अनुसूची II में,

- (क) पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित जोडा जाएगा, नामत: :-
 - "2अ. कोई भारतीय अनिवासी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन, अंतर मुद्रा (रुपया शामिल नहीं) अपने एफसीएनआर (बैंक) खाते में धारित विदेशी मुद्रा के जमा राशि परिवर्तित करने के लिए, को दूसरी विदेशी मुद्रा में जिसमें कि एफसीएनआर (बैंक) जमा रखा जाना अनुमत है, वायदा संविदा कर सकता है।"
- (অ) पैराग्राफ 3 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, नामतः :—
 - ''3अ. भारत बाहर निवासी कोई व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन, अपने प्रस्तावित विदेशी भारत में प्रत्यक्ष निवेश के संभावित जोखिम की रक्षा के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ वायदा संविदा कर सकता है।''
 - ''3आ. भारत से बाहर कोई निवासी जिसका भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, इस शर्त पर कि वायदा रक्षा बोर्ड द्वारा दर के अनुमोदन के बाद ली जाएगी, भारतीय कंपनी से कोई प्राप्य लाभांश की मुद्रा जेखिम की रक्षा के लिए, रुपया एक मुद्रा के रूप में, वायदा संविदा कर सकता है।''

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II] उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Exchange Control Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st October, 2003

No. FEMA 104/2003-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Third Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 880(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—

Short title and Commencement

- 1 (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Third Amendment) Regulations, 2003.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of the Regulations

- 2. In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000
 - (i) In Schedule I, under the heading 'A Forward Contract' after paragraph (i) the following paragraph shall be added, namely:—
 - "(j) a person resident in India may, subject to the terms and conditions prescribed by Reserve Bank of India, enter into a forward contract with an authorised dealer in India to hedge an exposure to exchange risk in respect of transactions denominated in foreign currency but settled in Indian rupees"
 - (ii) In Schedule II,
 - (a) after paragraph 2, the following shall be added, namely:—
 - "2A. A non-resident Indian may, subject to conditions prescribed by the Reserve Bank of India from time to time, enter into cross currency (not involving the rupee) forward contracts to convert the balances held in FCNR (B) accounts in one foreign currency to another foreign currency in which FCNR (B) deposits are permitted to be maintained."

- (b) after paragraph 3, the following paragraphs shall be added namely:—
- "3A. A person resident outside India may, subject to conditions prescribed by the Reserve Bank of India from time to time, enter into a forward sale contract with an authorized dealer in India to hedge the currency risk arising out of his proposed foreign direct investment in India."
- "3B. A person resident outside India having Foreign Direct Investments in India may, subject to the condition that forward cover shall be taken only after the rate has been approved by the Board, enter into forward contracts with rupee as one of the currencies to hedge the currency risk on dividend receivable by him from the Indian company."

[No. 1/23/EC/2000-Vol.II]

USHA THORAT, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 21 अक्तूबर, 2003

सं. फेमा 105/2003-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन संविदा) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 881(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/आरबी-2000 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
 - (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

विनियमावली में संशोधन

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000 में सूची III में, पैरा 1 में ''निर्यात-आयात व्यवसाय करता है'' शब्दों के बाद ''अथवा रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित'' शब्दों को जोड़ा जाए।

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II]

उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st October, 2003

No. FEMA 105/2003-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Fourth Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 881(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 25/RB-2000 dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—

Short title and commencement

- 1. (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Fourth Amendment) Regulations, 2003.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of the Regulations

 In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 in Schedule III, in paragraph 1, after the words 'engaged in export-import trade' the words, 'or as permitted by the Reserve Bank', shall be added.

[No. 1/23/EC/2000-Vol.II]

USHA THORAT, Executive Director